

बिहार सरकार  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या : 01/ए0जी0(प्र0)-02/2015

2810

/कृ0, पटना, दिनांक 22-7-2018

अधिसूचना

विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुशंसा के आलोक में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) के अन्तर्गत वेतनमान 5,000-8,000/- (अपुनरीक्षित) में कार्यरत निम्नांकित प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि निरीक्षक एवं समकक्ष कर्मियों को उसी कोटि में बिहार कृषि सेवा वर्ग-2 के पद पर वेतनमान 6500-10,500/- (अपुनरीक्षित) 9300-34,800/- पी0बी0-2 ग्रेड वेतन-4800 (पुनरीक्षित) के प्रोन्नत पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है।

क्र०	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	वरीयता क्रमांक (2012)
1	श्री शक्ति कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मेसकौर, नवादा	35
2	श्री हृदय चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, एकंगरसराय, नालंदा	39
3	श्री दीपक कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बिहार शरीफ सदर नालंदा	42
4	श्री प्रवीण कुमार राय, कनीय अनुसंधान सहायक, बीज विश्लेषण, कार्यालय, मीठापुर, पटना	45
5	श्री शत्रुघन साहू, बीज प्रमाणन निरीक्षक, पटना, कार्यालय बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना	48
6	श्री अजय कुमार सिंह, सहायक निदेशक, उद्यान, मधेपुरा	52

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-4800 दिनांक-01.04.2016 की कंडिका-11 की उप कंडिका (I) एवं (IV) एवं पत्रांक-4020 दिनांक-26.03.2018 में निहित प्रावधान के आलोक में यह प्रोन्नति औपबंधिक होगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस0एल0पी0 (सी0) संख्या-29770 (2015) बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल0पी0ए0 सं0-173/2018 राज्य सरकार बनाम सुनिल कुमार एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम)

निदेशक (प्र0) सह अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ0, पटना दिनांक 22-07-2018

ज्ञापांक- 2810

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं दो हार्ड प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्र0) सह अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्र0)-02/2015 2810

/कृ0, पटना दिनांक 22-07-2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)  
विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0) सह अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्र0)-02/2015 2810

/कृ0, पटना दिनांक 22-07-2018

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार, पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0) सह अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्र0)-02/2015 2810

/कृ0, पटना दिनांक 22-07-2018

प्रतिलिपि:-कृषि निदेशक, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक(प्रशासन)-सह-अपर सचिव/उप सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/ अपर निदेशक (कृषि अभि0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण/पी0पी0एम0/उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप-तौल, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), पाट, बिहार, पूर्णियाँ/संयुक्त निदेशक (शष्य), शिक्षा, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्य), प्रसार, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (कृ0अभि0), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/सभी उप निदेशक, कृषि विभाग/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-2 तथा कार्यवाहक सहायक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0) सह अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्र0)-02/2015 2810

/कृ0, पटना दिनांक 22-07-2018

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/मंत्री कृषि के आप्त सचिव, कृषि विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0) सह अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1/ए0जी0 (प्र0)-02/2015 2810

/कृ0, पटना दिनांक 22-07-2018

प्रतिलिपि:-उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्र0) सह अपर सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।